

[2024] 8 एससीआर 507 : 2024 आईएनएससी 622

महानिदेशक व अन्य के माध्यम से भारतीय कृषि

अनुसंधान परिषद

बनाम

राजिंदर सिंह व अन्य

(सिविल अपील सं. 97-98/2012)

22 अगस्त 2024

[न्या. श्री जे.के. महेश्वरी एवं न्या. श्री राजेश बिंदल]

विचारणीय विवादक

कृषि अनुसंधान सेवा में तकनीकी क्षेत्र पर कार्यरत कर्मचारी, यदि अपने सेवाकाल में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त करने पर कृषि अनुसंधान सेवा में वैज्ञानिकों को दी जाने वाली दो अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार हैं।

शीर्ष टिप्पणियाँ

सेवा विधि - प्रोत्साहन - कृषि अनुसंधान व्यवसाय में वैज्ञानिकों को पीएचडी डिग्री प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि का अनुदान - कृषि अनुसंधान सेवा में तकनीकी क्षेत्र पर काम करने वाले कर्मचारी समान लाभ की मांग करते हैं - अधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति - शुद्धता:

अभिनिर्धारित: पीएचडी योग्यता प्राप्त करने के लिए दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ वैज्ञानिकों के वेतन पैकेज का हिस्सा था- तकनीकी कर्मियों को ऐसा लाभ नहीं दिया गया- तकनीकी कार्मिकों के लिए, अपीलार्थीगण ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमान को अपनाया था- केवल इसलिए कि अध्ययन अवकाश विनियम, 1991 को तकनीकी कार्मिकों तक बढ़ा दिया गया था, उन्हें अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाएगा जो वैज्ञानिकों को उपलब्ध हैं- केवल पीएचडी योग्यता प्राप्त करने के बाद, तकनीकी कार्मिक दो अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि उनके लिए इसकी अनुशंसा नहीं की गई हो- किसी भी संस्थान में किसी विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी नौकरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवा के दौरान उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है- केवल इसलिए कि कर्मचारियों के विभिन्न समूह, जो सहायक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन अलग-अलग नियमों द्वारा शासित हैं एवं उनके अलग-अलग कर्तव्य हैं, वे भी उस योग्यता को प्राप्त

करते हैं लेकिन वे उन लाभों के हकदार नहीं होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों के विभिन्न समूहों को दिए गए थे- अनुच्छेद 14 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा- अधिकरण एवं उच्च न्यायालय ने तकनीकी कर्मियों और वैज्ञानिकों को समान मानकर तथा प्रत्यर्थीगण को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करके त्रुटि की, जिसके वे हकदार नहीं हैं- अतिरिक्त योग्यता केवल उन्हें अलग संवर्ग में उच्च पद के लिए पात्र बनाती है, न कि उन्हें अलग संवर्ग में उच्च पद से जुड़े लाभ प्रदान करती है- उच्च न्यायालय एवं अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जाता है।
[पैरा 9, 10, 10.1, 10.2, 11]

अधिनियमों की सूची

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860; कृषि अनुसंधान सेवा अध्ययन अवकाश विनियम, 1991; भारत का संविधान।

प्रमुख शब्दों की सूची

प्रोत्साहन; पीएचडी डिग्री प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि; कृषि अनुसंधान सेवा में वैज्ञानिक; कृषि अनुसंधान सेवा में तकनीकी क्षेत्र के कर्मचारी।

से उद्भूत मामला

सिविल अपीलिय अधिकारिता: सिविल अपील सं. 97-98/2012 नई दिल्ली स्थित, दिल्ली उच्च न्यायालय के रि.या. सं. 3364 एवं 3365/2004 के दिनांक 21.07.2010 के निर्णय एवं आदेश से।

पक्षकारगण की ओर से उपस्थितियां

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण प्रवीण स्वरूप, अमित सिंह, सुश्री पायल स्वरूप, सुश्री अदिति सिंह, देवेश मौर्य, सय्यद ज़फ़र हुसैन, बैज नाथ यादव, रवि कुमार, के. पी. सिंह।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्तागण डॉ. के. बी. साउंडर राजन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुदर्शन राजन, महेश कुमार, सुश्री सृष्टि शर्मा, रमेश रावत, रोहित भारद्वाज, हितान बजाज, सचिन एस, आशुतोष गुप्ता, नंद राम।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. श्री राजेश बिंदल,

1. अपीलार्थी, अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 18.07.2003 के आदेश के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित

दिनांक 21.07.2010 के आदेश से व्यथित हैं। अधिकरण ने प्रत्यर्थागण द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया था तथा उन्हें दिनांक 27.02.1999 की योजना का लाभ प्रदान किया था, जिसके अनुसार वैज्ञानिक अपने सेवाकाल (सर्विस करियर) में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि हेतु पात्र था।

2. संक्षेप में, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य यह है कि इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी सं. 1 - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। यह कृषि अनुसंधान से संलग्न है। दिनांक 01.10.1975 को अपीलार्थी सं. 1 ने दो व्यवसाय अर्थात् कृषि अनुसंधान व्यवसाय (संक्षेप में “एआरएस”) एवं तकनीकी व्यवसाय (संक्षेप में “टीएस”) का गठन किया। ये दो तरह के सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं। दोनों व्यवसायों के अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा निष्पादित कर्तव्यों की प्रकृति पूरी तरह से भिन्न है।

2.1 पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित किए गए। अपीलार्थी/आईसीएआर ने दिनांक 27.02.1999 के

पत्र द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक योजना (स्कीम) जारी की, जिसमें अपीलार्थीगण के साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों के वेतनमानों के संशोधन के बारे में उन्हें सूचित किया गया। इस पत्र में वैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों (वरिष्ठ वेतनमान), वैज्ञानिकों (चयन ग्रेड/वरिष्ठ वैज्ञानिक), प्रधान वैज्ञानिकों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मौजूदा वेतनमान तथा तत्संबंधी नए वेतनमानों के बारे में जानकारी दी गई है।

2.2 उपर्युक्त संसूचना के खंड (ii) में पीएचडी/एम.फिल. हेतु प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। उप-खंड (घ) जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, में यह प्रावधान है कि 'वैज्ञानिक अपने सेवाकाल में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा। उपर्युक्त खंड ही प्रश्नगत वाद का मूल कारण है।

2.3 प्रत्यर्थीगण जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (संक्षेप में "आईएआरआई"), अपीलार्थी सं. 1 के अंतर्गत एक इकाई में तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ने वैज्ञानिकों के मामले में लागू पीएचडी डिग्री प्राप्त करने पर दिनांक 27.02.1999 के पत्र के अनुसार उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने

के लिए अपीलार्थीगण को निर्देश देने के लिए आवेदन दायर करके अधिकरण का दरवाजा खटखटाया। अधिकरण ने दिनांक 06.06.2002 के आदेश द्वारा अपीलार्थीगण को उपरोक्त राहत का दावा करने वाले प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।

2.4 अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अपीलार्थी/आईसीएआर ने अभ्यावेदन पर विचार किया तथा दिनांक 02.08.2002 के ज्ञापन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया। इसमें उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी ने अपने कर्मचारियों को वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक, सहकारी एवं सहायक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया था। प्रत्येक श्रेणी अलग-अलग नियमों द्वारा शासित थी तथा उनके स्वतंत्र कैडर थे। वैज्ञानिकों की भर्ती 8,000-13,500 रुपये के प्रवेश स्तर पर थी एवं लिखित प्रतियोगी परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर की गई थी, जबकि तकनीकी सेवा में 3 श्रेणियां अर्थात् ग्रेड I, II और III थीं। इन श्रेणियों में भर्ती संस्थान स्तर पर की गई थी। अपीलार्थीगण ने दिनांक 01.01.1986 से एआरएस में वैज्ञानिकों के लिए

यूजीसी वेतनमान को अपनाया था तथा सेवा के दौरान पीएचडी योग्यता रखने के लिए एआरएस में वैज्ञानिकों को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करना, वैज्ञानिकों के लिए लागू वेतन पैकेज का अहम हिस्सा था। चूंकि प्रत्यर्थीगण तकनीकी व्यवसाय का हिस्सा हैं, अतः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वेतनमान को अपनाया गया। सेवाकाल के दौरान पीएचडी योग्यता प्राप्त करने पर प्रत्यर्थीगण को कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं दिया गया था।

2.5 उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के समक्ष मू.आ. 2939/2002 दायर किया। दिनांक 18.07.2003 के आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश को वर्तमान अपीलों में चुनौती दी गई है।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए अधिकरण ने अपने अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है। यह गलत राय दी गई कि दोनों

श्रेणियों के कर्मचारी, अर्थात् वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिक, एक ही उद्देश्य के लिए अपीलार्थी के साथ काम कर रहे हैं, अतः, कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि वैज्ञानिक को सेवा के दौरान पीएचडी योग्यता प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी, तो प्रत्यर्थीगण के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए था। अधिकरण इस मामले के इस पहलू में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने अपने विवेक से, उन कर्मचारियों की श्रेणी को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया था, जो इसके हकदार थे। केवल इसलिए कि अन्य कर्मचारियों ने भी वही योग्यता प्राप्त कर ली है, वे उन लाभों को पाने के पात्र नहीं होंगे।

3.1 उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि तकनीकी कार्मिकों को एआरएस अध्ययन अवकाश विनियम, 1991 के विस्तार का अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने से कोई संबंध नहीं है। यह केवल उन्हें अपनी योग्यता सुधारने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए था, इसमें किसी भी वित्तीय लाभ का वादा नहीं किया गया था। रिट याचिका को एक गुप्त आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 का हवाला देकर गलत आधार पर

अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों को केवल इसलिए समान मानने का प्रयास किया गया क्योंकि वे अपीलार्थीगण के साथ काम कर रहे थे। वे अलग-अलग नियमों द्वारा शासित होते हैं एवं अलग-अलग संवर्गों से संबंधित होते हैं।

3.2 वर्तमान अपील में प्रार्थना यह है कि अधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाए तथा अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार किया जाए।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भारत के संविधान से जुड़ी 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 66 पर भरोसा जताया, जो उच्च शिक्षा या अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों के निर्धारण से संबंधित है। प्रस्तुति यह थी कि एक ही प्रविष्टि में 'शोध' एवं 'तकनीकी' शब्दों का उल्लेख किया गया है। भले ही वैज्ञानिक सीधे शोध में लगे हों, लेकिन प्रत्यर्थीगण तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चूंकि पीएचडी की अतिरिक्त योग्यता ने अनुसंधान में उनकी सहायता को बेहतर बना दिया, अतः उनके द्वारा दावा की गई राहत

को आक्षेपित आदेश द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया।

4.1 आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि अध्ययन अवकाश विनियम, 1991, जो वैज्ञानिकों पर लागू थे, उन्हें तकनीकी कार्मिकों पर भी लागू किया गया, जिसके अनुसार वे पीएचडी कार्यक्रम करने के लिए 3 वर्ष की अवधि हेतु अध्ययन अवकाश पाने के हकदार थे। इससे यह सिद्ध होता है कि उन्हें वैज्ञानिकों के बराबर माना जा रहा था तथा उन्हें अध्ययन अवकाश दिया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें वैज्ञानिकों की बेहतर तरीके से सहायता करने में सक्षम बनाना था। अतः, वैज्ञानिकों को मिलने वाले दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रत्यर्थीगण को प्रदान किया जाना उचित ही था।

4.2 उन्होंने दिनांक 01.05.1995 के परिपत्र का भी उल्लेख किया जिसके अनुसार अन्य वैज्ञानिकों के अतिरिक्त, पीएचडी योग्यता प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों के नाम भी अनुसंधान परियोजनाओं/पत्रों/रिपोर्टों में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। आगे यह तर्क दिया गया कि जब तकनीकी कर्मचारी पीएचडी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो वे

वैज्ञानिक संवर्ग में पार्श्व प्रवेश के लिए पात्र हो जाते हैं। अतः, योग्यता का वैज्ञानिक संवर्ग से संबंध है।

4.3 प्रस्तुतियां यह हैं कि उच्च न्यायालय तथा अधिकरण द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने से केवल प्रत्यर्थीगण व अन्य तकनीकी कर्मियों को अपनी योग्यता में सुधार करने एवं अनुसंधान में अधिक कुशलतापूर्वक योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

5. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा संदर्भित प्रासंगिक अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मुकदमे का मूल कारण दिनांक 27.02.1999 का परिपत्र है जिसके अनुसार पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद अपीलार्थीगण के साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों के वेतनमान को संशोधित किया गया था। प्रासंगिक खंड नीचे उद्धृत है:

"(ii) पीएचडी/एमफिल हेतु प्रोत्साहन

(क) वैज्ञानिक के रूप में भर्ती के समय,
जिन लोगों के पास पीएचडी तथा एमफिल

की डिग्री होगी, उन्हें क्रमशः चार एवं दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाएंगी।

(ख) एक वेतनवृद्धि, एमफिल डिग्री वाले उन वैज्ञानिकों को दी जाएंगी जो भर्ती के दो वर्ष के भीतर पीएचडी प्राप्त कर लेते हैं।

(ग) पीएचडी प्राप्त वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में चयन ग्रेड में जाने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे।

(घ) एक वैज्ञानिक अपने सेवाकाल में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

(जोर दिया गया)

7. अपीलार्थीगण द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि दिनांक 01.10.1975 को इसमें दो सेवायें, अर्थात् कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस) एवं तकनीकी व्ययसाय (टीएस) का गठन किया गया था। दोनों सेवायें अपने स्वतंत्र नियमों द्वारा संचालित होती हैं, जिनमें अलग-अलग संवर्ग एवं अलग-अलग पदोन्नति के अवसर होते हैं।

8. आईसीएआर के नियमों तथा उपनियमों के उपनियम 21 पर निर्भरता रखी गई, जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया है। नीचे उसी का सार प्रस्तुत है:

"(क) वैज्ञानिक: वैज्ञानिक कार्मिक वे होंगे जो कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा (भौतिक, सांख्यिकीय, जैविक, इंजीनियरिंग, तकनीकी या सामाजिक विज्ञान में विस्तार शिक्षा सहित) में लगे हुए हैं। इस श्रेणी में वैज्ञानिक अनुसंधान की योजना, प्रोग्रामिंग एवं प्रबंधन में लगे व्यक्ति भी शामिल होंगे।

(ख) तकनीकी: तकनीकी कार्मिक वे होंगे, जो प्रयोगशाला, कार्यशाला या क्षेत्र में या पुस्तकालय, प्रलेखन, प्रकाशन एवं कृषि संचार जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शिक्षा के समर्थन में तकनीकी सेवा प्रदान करते हैं।

9. बहस के समय प्रत्यर्थीगण द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया कि उनके लिए अलग-अलग नियम लागू हैं, पदोन्नति का उनका अपना तरीका है तथा भर्ती के लिए अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित हैं। उनको सौंपे गए कार्य भी वैज्ञानिकों से भिन्न हैं, जो

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के मुख्य कार्य में लगे हुए हैं, जबकि प्रत्यर्थीगण तकनीकी कार्मिक होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं। अपीलार्थीगण का यह भी कहना है कि कृषि अनुसंधान सेवा से संबंधित वैज्ञानिकों को दिनांक 01.01.1986 से यूजीसी वेतनमान मिल रहा है। पीएचडी योग्यता प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ उनके वेतन पैकेज का हिस्सा था। तकनीकी कर्मियों को ऐसा लाभ नहीं दिया गया। तकनीकी कर्मियों के लिए, अपीलार्थीगण ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमान को अपनाया था।

10. केवल इसलिए कि अध्ययन अवकाश विनियम, 1991 को तकनीकी कार्मिकों तक बढ़ा दिया गया, इससे उन्हें अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलेगा जो वैज्ञानिकों को उपलब्ध हैं। तकनीकी कार्मिकों को पीएचडी करने के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान करने का विचार केवल उन्हें अपनी योग्यता में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए था।

10.1 केवल पीएचडी योग्यता प्राप्त करने के बाद, तकनीकी कार्मिक दो अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि उनके लिए इसकी

अनुशंसा नहीं की गई हो। किसी भी संस्थान में किसी विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी नौकरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवा के दौरान उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। केवल इसलिए कि कर्मचारियों के विभिन्न समूह, जो सहायक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन अलग-अलग नियमों द्वारा शासित हैं एवं उनके अलग-अलग कर्तव्य हैं, वे भी उस योग्यता को प्राप्त करते हैं, वे उन लाभों के हकदार नहीं होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों के विभिन्न समूहों को दिए गए थे। उक्त तथ्यों के आधार पर भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा।

10.2 अधिकरण एवं उच्च न्यायालय ने तकनीकी कर्मियों एवं वैज्ञानिकों को समान मानकर तथा प्रत्यर्थीगण को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करके त्रुटि की है, जिसके वे हकदार नहीं हैं। प्रत्यर्थीगण द्वारा उठाया गया तर्क कि पीएचडी योग्यता प्राप्त करने के बाद, तकनीकी कर्मचारी वैज्ञानिकों के पद पर पार्श्विक प्रवेश के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं, भी यह ध्यान दिया जाना चाहिए और

उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अतिरिक्त योग्यता केवल उन्हें विभिन्न संवर्ग में उच्च पद के लिए पात्र बनाती है, न कि उन्हें वे लाभ प्रदान करने के लिए जो एक अलग संवर्ग में उच्च पद से जुड़े हैं। भारतीय संविधान से जुड़ी 7वीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 66 के संबंध में भी यही स्थिति है। सातवीं अनुसूची की प्रविष्टियों में केवल संसद या राज्य विधानमंडल की विधि बनाने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

11. उपरोक्त कारणों से, हम वर्तमान अपीलों में गुणागुण पाते हैं। उन्हें स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय एवं अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाते हैं। अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थागण द्वारा दायर मूल आवेदन खारिज किये जाते हैं। जुर्माने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई

शीर्ष टिप्पणियां तैयार की गई : निधि जैन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.